



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(आई.एस.ओ. ९००१ : २००० प्रमाणित संस्था)



104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

website : <http://www.upavp.com> e-mail : upavp@sancharnet.in

संख्या:- ८६४/एल०ए०सी०/एच०क्य०

दिनांक: १२/०४/२०१०

## नोटिस

उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद द्वारा "हरिद्वार रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-३ ऋषिकेश, देहरादून" नामक आवासीय योजना, जिसका उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम १९६५ की धारा-२८ तथा धारा-३२(१) के अन्तर्गत प्रथम प्रकाशन कमशा: २२ सितम्बर १९७३ के उ०प्र० गजट के भाग-८ के पृष्ठ संख्या-१४९२-१४९३ तथा १४ जनवरी १९८९ के भाग -८ के पृष्ठ संख्या ०५ पर हुआ था, को उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या-८४/८-२-१०-२९ भ० ५० /०८ दिनांक -२७.०१.१० द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के अनुपालन में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम १९६५ की धारा-३३ (२) के अन्तर्गत मा० परिषद की २१३वीं बैठक दिनांक २६.३.१० में विज्ञप्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

(दीपक कुमार)  
आवास आयुक्त